मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल– 462016 (म.प्र.)

क्रमांक 2046 स्था.398/ EMP/1440/प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 27 MAY 202

प्रति,

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला,
सेम्पलर/प्रयोगशाला सहायक,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देवास (म.प्र.)

विषय :– मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत् दीर्घ शास्ति अन्तर्गत पदच्यूत/ सेवा से बर्खास्त किये जाने बावत् ।

संदर्भ :– बोर्ड का आदेश क्रमांक 5798 दिनांक 27/04/1994

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि :–

1/– यह कि बोर्ड के आदेश क्रमांक 5797 दिनांक 27/04/94 द्वारा निम्न 4 कर्मचारी को बीएससी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रयोगशाला सहायक/ सैम्पलर के पद पर वेतनमान रूपये 950–1530/– में चयन कर किया गयाः–

1 श्री अखिलेश कुमार शुक्ला,

2 श्री दिलीप केशरे,

3 श्री अखिलेश सिकरवार

4 श्री संतोष कुमार तिवारी

चयनित कर्मचारियों में से श्री अखिलेश कुमार शुक्ला की पदस्थापना बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में की गई । आदेश निम्नानुसार है :–

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

क्रमांक 5797/स्था./मु.प्र.नि.बो./94. भोपाल, दिनांक : 27/4/94

//कार्यालय आदेश//

निम्नलिखित चयन किये गये उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सेम्पलर/प्रयोगशाला सहायक के पद पर वेतनमान रूपये 950-25-1000-30-1210-40-1530 में अस्थाई रूप से कार्यभार करने की दिनांक से आगामी आदेश तक के लिये नीचे दर्शायी गई शर्तों पर, उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	श्री अखिलेश कुमार शुक्ला	क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर
2.	श्री दिलीप केशरे	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
3.	श्री अखिलेश सिकरवार	क्षेत्रीय कार्यालय, सागर
4.	श्री संतोष कुमार तिवारी	क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

(क) उपरोक्त उम्मीदवारों को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा ।

(ख) इन्हें कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अन्दर स्थानीय सिविल सर्जन/चीफ मेडीकल आफीसर/ से शारीरीक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देना होगा । उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही वेतन आहरित हो सकेगा ।

(ग) उन्हें मूल वेतन के साथ-साथ समय-समय पर बोर्ड द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे ।

(घ) वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी अथवा एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा ।

(ङ) नियुक्त उम्मीदवारों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा आदेश स्वत: निरस्त हो जावेगा ।

सदस्य सचिव
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल.

....2....

2/- यह कि बोर्ड के पत्र कमांक 12924 दिनांक 11/12/1990 द्वारा पर्यावरण विभाग को बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम में प्रयोगशाला परिचारक के पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा मण्डल से विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1 हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी उत्तीर्ण (द्वितीय श्रेणी में) एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 हेतु विज्ञान विषय में उ.मा.परीक्षा उत्तीर्ण तथा आईटीआई से इलेक्ट्रोनिक में प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा बीएससी उपाधि प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र थी। पत्र एवं सेवा भर्ती नियम में प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक 12924 स्था/प्रनिबो/90 भोपाल, दिनांक 11-12-/90

प्रति,

उपसचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल ।

विषय :- सेवावर्ती नियम ।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5082, दिनांक 18/5/90.

--- 000 ---

संदर्भित पत्र द्वारा मण्डल के सेवावर्ती विनियम का हिन्दी प्रारूप शासन के अनुमोदन हेतु भेजा गया था । उपरोक्त का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर निवेदन है कि विनियमों पर शासन की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें ।

ol- (व्ही. के. जैन)
सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल.

2.	रसायनज्ञ (तृतीय श्रेणी)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से जीवविज्ञान/वनस्पति विज्ञान विषय में एम.एस.सी. तथा एम.फिल. की उपाधि ।	1. सदस्य सचिव - अध्यक्ष 2. मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक - सदस्य 3. अधीक्षण पर्यावरण वैज्ञानिक - सदस्य 4. प्रशासकीय अधिकारी - सदस्य
3.	प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड-1) (तृतीय श्रेणी)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बी.एस.सी. उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी में ।	---तदैव---

1·	2·	3·	4·	5·	6·
4·	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–2 §तृतीय श्रेणी§	21 वर्ष	30 वर्ष	विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा बी·एस·सी· अर्थात् प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र ।	——तदैव——
5·	प्रयोगशाला परिचारक §चतुर्थ श्रेणी§	18 वर्ष	30 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण ।	——तदैव——

3/– यह कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला विज्ञान विषय में हायर सेकेन्ड्री के आधार पर बोर्ड में दिनांक 27/12/1990 को प्रयोगशाला परिचारक के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, वे दिनांक 18/3/1993 में नियमित हुये ।

4/– प्रयोगशाला परिचारक के पद पर नियमितीकरण उपरांत श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 24/8/1993 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 18/5/1993 के आवेदन के साथ प्रस्तुत बीएससी की अंकसूची अनुसार वरिष्ठता सूची में शैक्षणिक योग्यता बीएससी दर्ज करने का अनुरोध किया गया ।

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अंकसूची व आवेदन दिनांक 24/8/1993

प्रति,

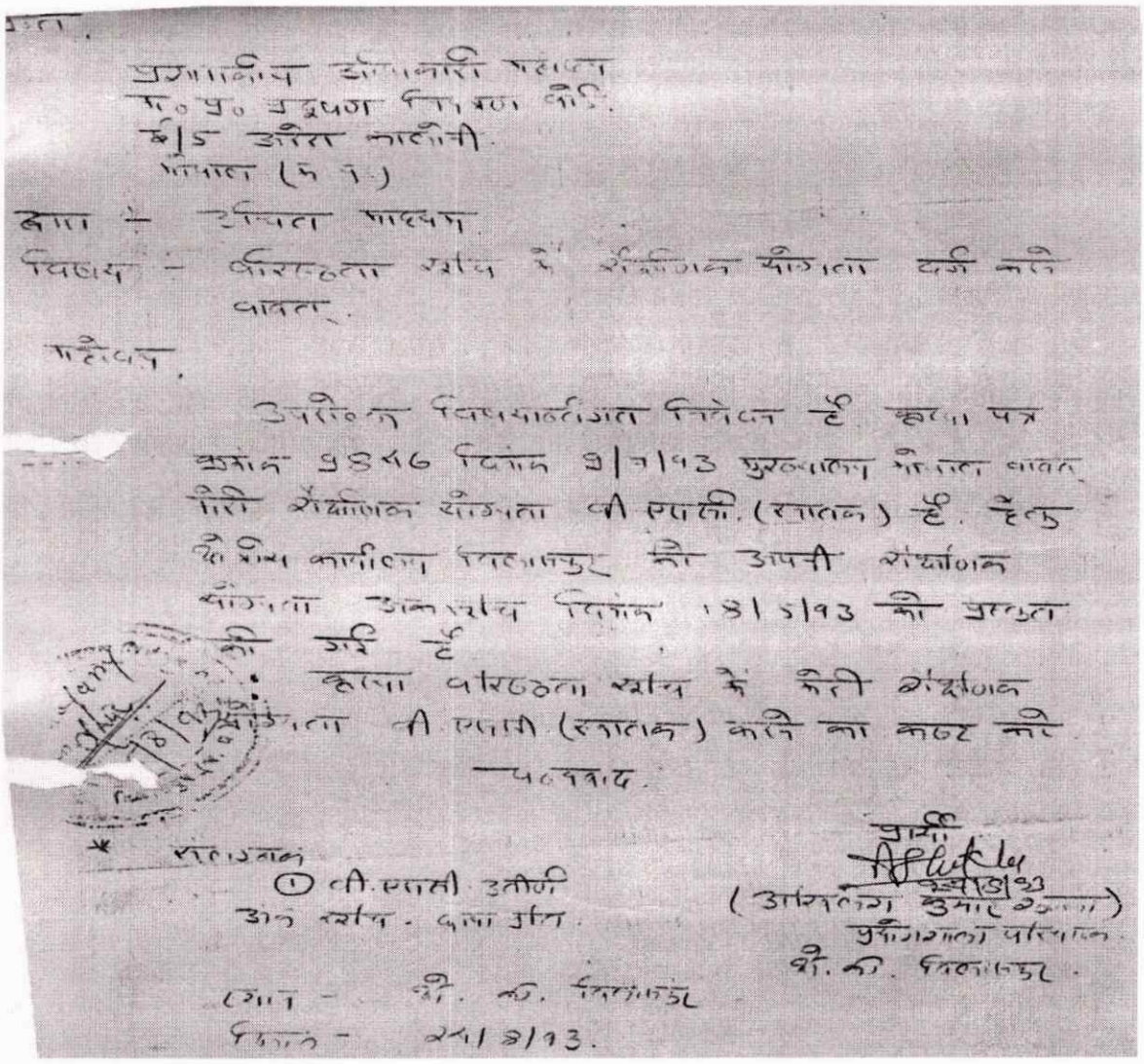

प्रशासकीय अधिकारी महोदय
म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
ई/5 अरेरा कालोनी
भोपाल (म प्र)

द्वारा :- उचित माध्यम.

विषय - वरिष्ठता सूची में शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने बावत.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपका पत्र क्रमांक 9846 दिनांक 9/7/93 मुख्यालय योग्यता बावत मेरी शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (स्नातक) है. हेतु क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को अपनी शैक्षणिक योग्यता अनुसार दिनांक 18/5/93 को प्रस्तुत की गई है

कृपया वरिष्ठता सूची में मेरी शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (स्नातक) करने का कष्ट करें.

—धन्यवाद.

प्रार्थी
A Shukla
24/8/93
(अखिलेश कुमार शुक्ला)
प्रयोगशाला परिचारक
क्षे. का. बिलासपुर.

* संलग्नक
① बी.एस.सी. उत्तीर्ण
अंक सूची - छाया प्रति.

स्थान - क्षे. का. बिलासपुर
दिनांक - 24/8/93.

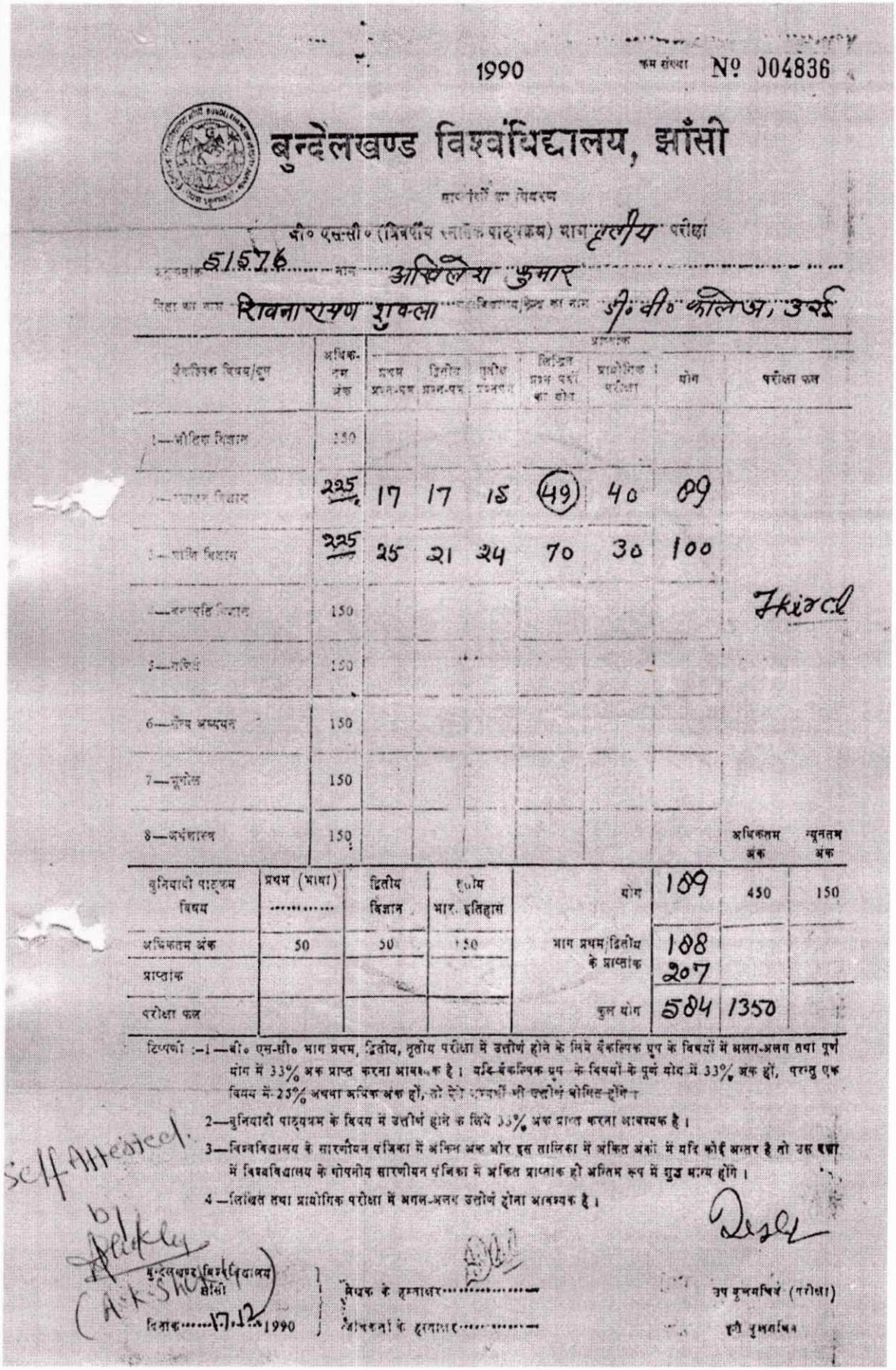

1990 क्रम संख्या № 004836

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

प्राप्तांकों का विवरण

बी० एस-सी० (त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम) भाग तृतीय परीक्षा

अनुक्रमांक 51576 नाम अखिलेश कुमार

पिता का नाम शिवनारायण शुक्ला महाविद्यालय/केन्द्र का नाम डी० वी० कालेज, उरई

वैकल्पिक विषय/ग्रुप	अधिकतम अंक	प्राप्तांक: प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्नपत्र	लिखित प्रश्न पत्रों का योग	प्रायोगिक परीक्षा	योग	परीक्षा फल
1—भौतिक विज्ञान	150							
2—रसायन विज्ञान	225	17	17	15	49	40	89	
3—प्राणि विज्ञान	225	25	21	24	70	30	100	
4—वनस्पति विज्ञान	150							Third
5—गणित	150							
6—सैन्य अध्ययन	150							
7—भूगोल	150							
8—अर्थशास्त्र	150							

बुनियादी पाठ्यक्रम विषय	प्रथम (भाषा)	द्वितीय विज्ञान	तृतीय भार. इतिहास			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
				योग	189	450	150
अधिकतम अंक	50	50	150	भाग प्रथम/द्वितीय के प्राप्तांक	188 207		
प्राप्तांक							
परीक्षा फल				कुल योग	584	1350	

टिप्पणी :-1—बी० एस-सी० भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये वैकल्पिक ग्रुप के विषयों में अलग-अलग तथा पूर्ण योग में 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि वैकल्पिक ग्रुप के विषयों के पूर्ण योग में 33% अंक हों, परन्तु एक विषय में 25% अथवा अधिक अंक हों, तो ऐसे परीक्षार्थी भी उत्तीर्ण घोषित होंगे।

2—बुनियादी पाठ्यक्रम के विषय में उत्तीर्ण होने के लिये 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

3—विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका में अंकित अंक और इस तालिका में अंकित अंकों में यदि कोई अन्तर है तो उस दशा में विश्वविद्यालय के गोपनीय सारणीयन पंजिका में अंकित प्राप्तांक ही अन्तिम रूप में शुद्ध मान्य होंगे।

4—लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

Self Attested by (A. K. Shukla)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

दिनांक 17.12.1990

सेवक के हस्ताक्षर...............

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर...............

उप कुलसचिव (परीक्षा)

कृते कुलसचिव

दस्तावेजों की विवचेना में पाया गया कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा उपरोक्त अंकसूची 17/12/1990 को उपरोक्त अर्थात बोर्ड में प्रयोगशाला परिचारक के रूप में कार्यरत होने के पूर्व प्राप्त हो गई थी ।

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27/12/1993

प्रशा. अधिकारी
देखें
[illegible]
28/2/94

प्रति,

सदस्य सचिव, महोदय
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 अरेरा कालोनी
पर्यावरण परिसर,
भोपाल (म0प्र0)

द्वारा : उचित माध्यम

विषय - प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर पद पर पदोन्नति विषयक।

संदर्भ - (1) स्नातक बी0एस-सी0 शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की सूचना की कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 18.5.93
(2) स्नातक (बी0एस-सी0) शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की सूचना पत्र क्रमांक दिनांक 25.8.93.

---00---

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में सविनय निवेदन है कि मैं अखिलेश कुमार शुक्ला, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में दिनांक 27.12.90 से प्रयोगशाला परिचारक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति दैनि० वेतनभोगी के रूप में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर मण्डल में दिनांक 27.12.90 को गई थी। तत्पश्चात दिनांक 18.3.93 को मुझे मण्डल द्वारा नियमित किया गया।

मेरी मण्डल में नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता स्नातक बी0एस-सी0 सहित थी किन्तु उक्त समय स्नातक की अंक सूची अप्राप्त होने के कारण प्रयोगशाला परिचारक के रूप में की गई थी, तत्पश्चात अंक सूची स्नातक प्राप्त होने पर मेरी बढ़ी हुयी शैक्षणिक योग्यता की सूचना मण्डल को दिनांक 18.5.93 को दी गई। तत्पश्चात बढ़ी हुयी शैक्षणिक योग्यता की पुनः अंक सूची सहित जानकारी सूचना मुख्यालय भोपाल दिनांक 25.8.93 को दी गई। (संदर्भ क्र. 1 व 2) तत्पश्चात पुनः उक्त संबंध में एवं वरिष्ठता सूची में शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु दिनांक 25.8.93 को आवेदन किया गया।

माननीय सदस्य सचिव जी से निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए मेरी पदोन्नति प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर के पद पर करने का कष्ट करें।

कृपया निम्न चार्ट का अवलोकन करने की कृपा करें -

x वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

पद	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर	स्नातक (बी०एस०सी० साइन्स)

x पदोन्नति हेतु आवेदक/ प्रार्थी की योग्यता निम्नानुसार है :-

नाम	वर्तमान पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अग्रिम पदोन्नति पद
अखिलेश कुमार शुक्ला	प्रयोगशाला परिचारक (दि०90 से)	बी०एस०सी० (बायो.) 1990	दैनिक वेतनभोगी 2 वर्ष 2 माह 21 दिन नियमित 9 माह 10 दिन कुल अनुभव-3 वर्ष 3 वर्ष	प्रयोगशाला सहायक/ सेम्पलर

x (1) मण्डल में मात्र प्रार्थी के रूप में नियमित प्रयोगशाला परिचारक अनिवार्य योग्यता प्रयोगशाला सहायक हेतु स्नातक है।

अतः श्रीमान जी से पुनः सविनय निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए मेरी पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र करने की कृपा करें।

संलग्नक -1. शैक्षिक योग्यता बी०एस०सी० की सूचना हेतु संदर्भ क्र. 1 व 2 पत्र की छाया प्रति.
2. बी०एस०सी० की अंक सूची की छायाप्रति.
3. वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये अधिकारी/कर्मचारी श्रीमती सविता दिये गये ब्यौरे की सूची की छाया प्रति.

दिनांक -
स्थान - बिलासपुर (म०प्र०)

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28/2/1994

121

1107
20-1-94

प्रति,

सदस्य सचिव, महोदय
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 अरेरा कालोनी
पर्यावरण परिसर,
भोपाल (म0प्र0)

द्वारा : उचित माध्यम

विषय - प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर पद पर पदोन्नति विषेयक।

संदर्भ - (1) स्नातक बी0एस-सी0 शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की सूचना की कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 18.5.93
(2) स्नातक (बी0एस-सी0) शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की सूचना पत्र क्रमांक दिनांक 25.8.93.

---00---

2886
3-1-94

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में सविनय निवेदन है कि मैं अखिलेश कुमार शुक्ला क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में दिनांक 27.12.90 से प्रयोगशाला परिचारक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर मण्डल में दिनांक 27.12.90 की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 18.3.93 को मुझे मण्डल द्वारा नियमित किया गया।

मेरी मण्डल में पृविष्टी के समय शैक्षणिक योग्यता स्नातक बी0एस-सी0 साइंस, थी किन्तु उक्त समय स्नातक की अंक सूची अप्राप्त होने के कारण प्रयोगशाल परिचारक के रूप में की गई थी, तत्पश्चात अंक सूची स्नातक प्राप्त होने पर मेरी बढ़ी हुयी शैक्षणिक योग्यता की सूचना मण्डल को दिनांक 18.5.93 को दी गई। तत्पश्चात बढी हुयी शैक्षणिक योग्यता की पुनः अंक सूची सहित जानकारी सूचना मुख्यालय भोपाल दिनांक 25.8.93 को दी गई।(संदर्भ क्र. 1 व 2) तत्पश्चात पुनः उक्त संबंध में एवं वरिष्ठता सूची में शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु दिनांक 25.8.93 को आवेदन किया गया।

माननीय सदस्य सचिव जी से निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए मेरी पदोन्नति प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर के पद पर करने का कष्ट करें।

कृपया निम्न चार्ट का अवलोकन करने की कृपा करें -

× वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

पद	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
प्रयोगशाला सहायक/सेम्पलर	स्नातक{बी०एस-सी. साइन्स}

× पदोन्नति हेतु आवेदन/ प्रार्थी की योग्यता निम्नानुसार है :-

नाम	वर्तमान पद	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अग्रिम पदोन्नति पद
अखिलेश कुमार शुक्ला	प्रयोगशाला परिचारक {दिस० 90 से}	बी०एस-सी० {बायो.} 1990	दैनिक वेतनभोगी 2 वर्ष 2 माह 21 दिन नियमित 9 माह 10 दिन कुल अनुभव-3 वर्ष 3 वर्ष	प्रयोगशाला सहायक/ सेम्पलर

× {1} मण्डल में मात्र प्रार्थी के रूप में नियमित प्रयोगशाला परिचारक अनिवार्य योग्यता प्रयोगशाला सहायक हेतु स्नातक है।

अतः श्रीमान जी से पुनः सविनय निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरी पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र करने की कृपा करें।

संलग्नक -1. शैक्षणिक योग्यता बी०एस-सी० की सूचना हेतु संदर्भ क्र. 1 व 2 पत्र की छाया प्रति.
2. बी०एस-सी० की अंक सूची की छायाप्रति.
3. वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये अधिकारी/कर्मचारी कीभरती सहित दिये गये ब्यौरे की सूची. की छाया प्रति.

दिनांक - 27/12/93
स्थान - बिलासपुर{म०प्र०}

प्रार्थी
Akhilesh
{अखिलेश कुमार शु
प्रयोगशाला परिचारक
क्षेत्रीय कार्यालय, बिलास
{म०प्र०}

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला को तत्समय ज्ञात था कि प्रयोगशाला सहायक पद के लिये शैक्षणीक योग्यता बी.एस.सी. है जैसा उनके आवेदन में उल्लेखित है एवं पर्यावरण विभाग को वर्ष 1990 में बोर्ड द्वारा प्रेषित सेवा भर्ती नियमों की स्वीकृति में प्रयोगशाला सहायक के पद पर शैक्षणिक योग्यता बीएससी उल्लेखित थी ।

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा बीएससी के झूठे सर्टिफिकेट देकर धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त करने संबंधी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में कुलसचिव बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा पत्र कमांक 620/04 दिनांक 23/11/2004 से अवगत कराया कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला ने कक्षा बीएससी वर्ष 1990 अनुक्रमांक 51576 की जांच के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा बीएससी की परीक्षा विश्वविद्यालय के किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र से नहीं दी है । उनके द्वारा प्रेषित अंकतालिका/डिग्री पूर्णतः फर्जी है, एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गित नहीं की गई है। प्राप्त पत्र निम्नानुसार है :-

(4)

(89)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

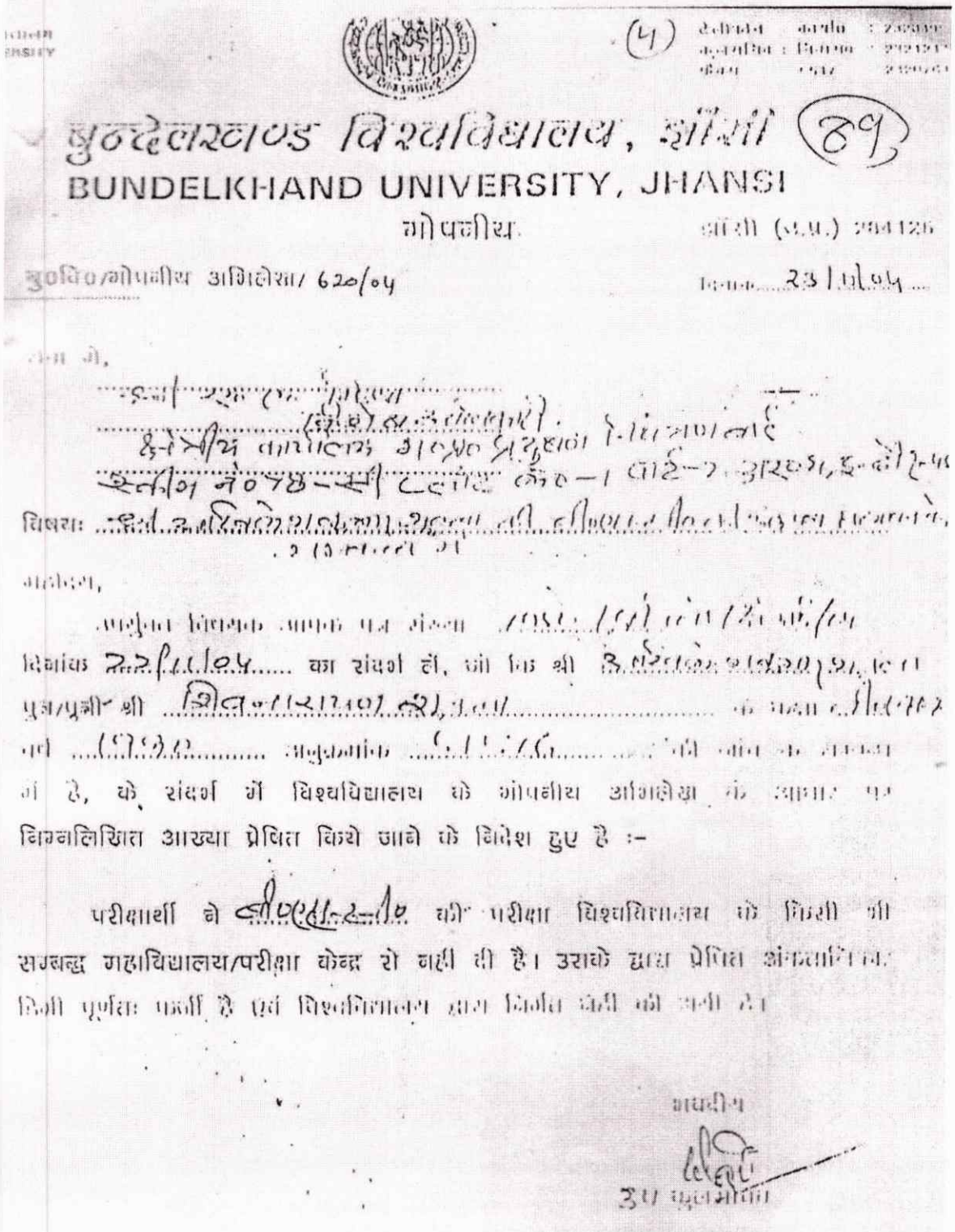

गोपनीय

झाँसी (उ.प्र.) 284128

बुविवि/गोपनीय अभिलेख/ 620/04

दिनांक 23/11/04

सेवा में,

[illegible]

विषयः [illegible]

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या [illegible] दिनांक 22/11/04 का संदर्भ लें, जो कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र/पुत्री श्री शिवनारायण शुक्ला के कक्षा बीएससी वर्ष 1990 अनुक्रमांक 51576 की जांच के सम्बन्ध में है, के संदर्भ में विश्वविद्यालय के गोपनीय अभिलेख के आधार पर निम्नलिखित आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश हुए हैं :-

परीक्षार्थी ने बी.एस.सी. की परीक्षा विश्वविद्यालय के किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र से नहीं दी है। उसके द्वारा प्रेषित अंकतालिका/डिग्री पूर्णतः फर्जी है एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं की गयी है।

भवदीय

उप कुलसचिव

4/- उपरोक्त प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन उपरांत बोर्ड द्वारा श्री अखिलेश कुमार शुक्ला को पत्र कमांक 228 दिनांक 5/1/2005 द्वारा आरोप पत्र जारी कर जांच कराई गई, जांच अधिकारी द्वारा पत्र कमांक 1359 दिनांक 4/7/07, एवं दिनांक 24/8/2013 से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उपरोक्त आरोप सत्य पाया गया, संबंधित तथ्य निम्नानुसार है :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिषर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल

पंजीकृत डाक से

कंमांक 228 /प्रशासन/प्रनिबो/2004 भोपाल दिनांक 5-1-05

प्रति,

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला,
प्रयोगशाला सहायक
जी.आर.एम.-75 सुखलिया
इंदौर

विषय :- विरूद्व म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् निलंबन का आरोप पत्र।

--0--

आरोप पद दो

यह कि आपके द्वारा बुंदेलखण्ड विश्व विद्यालय झॉसी से बी0एस0सी0 उर्त्तीण करने संबंधी फर्जी अंकसूची प्रस्तुत की गई एवं बोर्ड में अनुचित पदोन्नति पाई है।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016 (M.P.)
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)

कमांक 1359 / मु.प्रनिबो / खत. शाखा / 2007 भोपाल, दिनांक 4/7/0

Office of the M.P. Pollution Control Board 9303 6/7/07 BHOPAL

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म0प्र0)

विषयः- श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रयोगशाला सहायक के विरूद्व संस्थापित विभागीय जॉच ।

संदर्भ :-बोर्ड का कार्यालयीन आदेश कमांक 10420 / प्रशासन / प्रनिबो / 2005, भोपाल दिनांक 27.5.05.

1. आरोप पत्र कमाक –2

" यह कि आपके द्वारा बुदेलखण्ड विश्व विद्यालय झॉसी से बी0एस0सी0 उर्त्तीण करने सबंधी फर्जी अंकसूची प्रस्तुत की गई एवं बोर्ड में अनुचित नियुक्ति पाई है। "

श्री आर.सी.जैन, अनुभाग अधिकारी, म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने बयान में बताया गया कि श्री ए.ए.मिश्रा क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर द्वारा की गई प्राथमिक जॉच के आधार पर यह सत्य पाया गया कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रयोगशाला सहायक, (अपचारी सेवक) के द्वारा बी.एस. सी.की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई एवं बी.एस.सी.की फर्जी मार्कशीट सम्मिलित कर बोर्ड में प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति कराई है। (बयान संलग्न/P/2,नस्ती पेज क. 55)

श्री ए.ए.मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा अपने बयान में बताया कि उन्हें म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश कमांक 46 दिनांक 07.8.04 के द्वारा श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रयोगशाला सहायक (अपचारी सेवा) के विरूद्व प्रारंभिक जॉच हेतु जॉच अधिकारी बनाया गया था । श्री ए.ए. मिश्रा द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष्य मं बुदेलखंड विश्वविद्यालय, झॉसी को पत्र लिखा एवं बुदेलखंड विश्वविद्यालय, झॉसी के पत्र कमांक बुवि/गोपनीय अभिलेख /620/04 दिनांक 23.11.04 से सूचित किया कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला अनुकमांक 51576 वर्ष 1990 में बी.एस.सी. की परीक्षा बुदेलखंड विश्वविद्यालय, झॉसी से नहीं दी गई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका डिग्री पूर्णतः फर्जी है। (बयान संलग्न/P/3,नस्ती पेज क. 56)

उपरोक्त बयानों के आधार पर आरोप कमांक दो सिद्व होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त बयानों के आधार पर आरोप कमांक एक एवं दो सिद्व पाये जाते है।

(डॉ अभय कुमार सक्सेना)
मुख्य रसायनज्ञ

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (53)

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 648 स्था/प्रनिबो/2013 भोपाल, दिनांक 24/8/13

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल

विषय :– श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रयोगशाला सहायक, के विरूद्व अधिरोपित विभागीय जांच का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत् ।

सन्दर्भः– 1 बोर्ड का पत्र कंमाक 328 दिनांक 30.01.2009 ।
2 बोर्ड का पत्र कंमाक 1734 दिनांक 09.07.2009

आरोप कमांक 'दो'

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रयोगशाला सहायक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला इन्दौर पर आरोप था कि उनके द्वारा बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय, झांसी से बी. एस. सी. उत्तीर्ण करने संबंधी फर्जी अंकसूची प्रस्तुत की गई एवं बोर्ड में अनुचित नियुक्ति पाई ।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष :-

अभियोजन पक्ष के साक्षी श्री आर.सी. जैन, अनुभाग अधिकारी स्थापना, म. प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, (पी/डबल्यू-3) श्री ए.एए.मिश्रा, अधीक्षण यंत्री, (पी/डबल्यू-4) एवं अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी-1 से डी-11 के संबंध में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा श्री एच.एस.वर्मा, अधीक्षण यंत्री प्रशासन, श्री सी.व्ही.वर्गीस अनुभाग अधिकारी स्थापना एवं श्री ए.ए.मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण इन्दौर के कराये गये साक्ष्य एवं अपचारी सेवक द्वारा किये गये कूट परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत वर्ष 1990 में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकसूची जिसमें अनुक्रमांक 51576 अखिलेश कुमार शुक्ला, पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला के नाम से न होकर अखलेश कुमार पुत्र श्री संतराम के नाम से है।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत ब्रीफ से भी यह स्पष्ट होता है कि श्री अखिलेश शुक्ला द्वारा प्रस्तुतउक्त अंकसूची अखिलेश कुमार शुक्ला, पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला के नाम से न होकर अखलेश कुमार पुत्र श्री संतराम के नाम से है।

अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी-1 में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा जारी पत्र दिनांक 6.1.2010 की प्रति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990 में अनुक्रमांक 51576 से बीएससी की परीक्षा अखलेश कुमार पुत्र श्री संतराम द्वारा दी गई है । जबकि अपचारी सेवक बोर्ड में अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला के नाम से कार्यरत हैं । अपचारी सेवक यह भी सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा जारी पत्र दिनांक 6.1.2010 अनुसार वर्ष 1990 में अनुक्रमांक 51576 से बीएससी की परीक्षा अखलेश कुमार पुत्र श्री संतराम द्वारा दी गई है वह उनके द्वारा ही दी गई है ।

अपचारी सेवक अपने बयान, कूट परीक्षण एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्ध करने में असफल रहे कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा वर्ष

1990 में अनुक्रमांक 51576 हेतु जारी बीएससी अंकसूची में वर्णित नाम अखलेश कुमार पुत्र श्री संतराम का नाम उनका ही है ।

अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत ब्रीफ दिनांक 17.9.2012 में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत् कोई भी बालक जिस दिनांक से दत्तक जाता है उस दिनांक से उसके जनक पिता से उसके सारे संबंधी सभी उद्देश्यों के लिये समाप्त हो जाते हैं तथा दत्तक पिता ही उसका वैधानिक पिता हो जाता है । परन्तु अपचारी सेवक द्वारा उक्त तथ्य बोर्ड की सेवा में आने के पूर्व एवं पश्चात् बोर्ड को प्रकाश में नहीं लाये और न ही ऐसा कोई प्रमाण पूर्व में प्रस्तुत किया ।

अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत ब्रीफ के साथ संलग्न दिनांक 2011.2001 की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है । प्रार्थी द्वारा उक्त प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में अपनी माताजी की गुमशुदगी होने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें स्वयं का नाम अखिलेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला लिखवाया गया है जबकि अपनी ब्रीफ में स्वयं उल्लेख किया है कि बालक जिस दिनांक से दत्तक जाता है उस दिनांक से उसके जनक पिता से उसके सारे संबंधी सभी उद्देश्यों के लिये समाप्त हो जाते हैं तथा दत्तक पिता ही उसका वैधानिक पिता हो जाता है परन्तु अपचारी सेवक द्वारा प्रस्तुत उक्त कथन एवं दस्तावेंज स्वयं विरोधाभासी हैं एवं इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि अपचारी सेवक अपनी फर्जी अंकसूची को सही प्रमाणित करने के लिये वर्तमान में दस्तावेज तैयार कर रहा है ।

इसी प्रकार अपचारी सेवक द्वारा अपने ब्रीफ में लेख किया गया है कि उन्हें संतराम से पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुई है तथा उसकी बही संलग्न की गई है, उक्त बही में यह कहीं अंकित नहीं है कि उक्त भूमि अपचारी सेवक को पैत्रक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई है साथ ही उक्त बही पर हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अंकित तिथि 21.08.2012 है जिससे यह तथ्य ओर दृढ़ हो जाता है कि अपचारी सेवक वर्तमान में इस प्रकार के दस्तावेज तैयार कर रहा है ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से वर्ष 1990 में अनुक्रमांक 51576 से बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंकसूची अखिलेश कुमार शुक्ला, पुत्र श्री शिवनारायण शुक्ला के नाम से न होकर अखलेश कुमार पुत्र श्री संतराम के नाम से है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप कमांक दो सिद्ध होता ।

6/- यह कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत बीएससी की फर्जी अंकसूची संबंधी विषय पर पूर्व में कराई गई, विभागीय जांच के प्रतिवेदन दिनांक 30/12/2004, दिनांक 4/7/2007 एवं दिनांक 24/8/13 में फर्जी अंकसूची होना प्रमाणित होने के उपरांत भी श्री हेमन्त कुमार शर्मा, डायरेक्टर पर्यावरण द्वारा बीएससी उत्तीर्ण करने संबंधी फर्जी अंकसूची के प्रमाणिक लिखित दस्तावेजों के उपलब्ध होने के तथ्यों को ध्यान में न रखकर दिनांक 18/3/2021 को जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसकी विवेचना पश्चात् जांच प्रतिवेदन

अमान्य किया जाकर, श्री हेमन्त शर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

7/- यह कि उपरोक्त तथ्यों की विवचेना से स्पष्ट है कि श्री अखिलेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. अनिवार्य होने संबंधी तथ्यों को संज्ञान में रखते हुये तथाकथित बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, उत्तर प्रदेश की फर्जी अंकसूची का आधार लिया जाना स्पष्ट परिलक्षित हुआ है ।

8/- अतः उपरोक्त तथ्यपरक वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में श्री अखिलेश कुमार शुक्ला, प्रयोगशाला सहायक, जिला कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवास के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) अनुसार दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुये तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त/ पदच्युत किया जाता है ।

9/- बोर्ड के नियुक्ति आदेश कमांक 5797 दिनांक 27/4/1994 के बिन्दु कमांक घ में यह उल्लेखित किया गया है कि **''नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी अथवा एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथा स्थित देय अथवा बसूली योग्य होगा''** अतः उपरोक्त शर्त अनुसार श्री अखिलेश कुमार शुक्ला को एक माह का वेतन तथा भत्ता भुगतान किया जाता है ।

अध्यक्ष के आदेशानुसार

सुधीर श्रीवास्तव

(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी

पु.क्र. 2047 स्था.398/ EMP.1440/प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 27 MAY 2022

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. जिला पर्यावरण अधिकारी, जिला कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देवास की ओर सूचनार्थ, कृपया पत्र श्री अखिलेश कुमार शुक्ला को डिलीवर कर पावती मुख्यालय प्रेषित करें ।
3. वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । कृपया श्री अखिलेश कुमार शुक्ला को बिन्दु 9 में उल्लेख अनुसार एक माह के वेतन एवं भत्ते की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।
4. व्यक्तिगत नस्ति, आईटी शाखा, गार्ड फाईल